प्रेस-विज्ञप्ति **01 मार्च, 2017**

दिनांक 01 मार्च, 2017 को अपरान्ह 03:00 बजे से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन (के.आई.टी.बी.ए.) एवं कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी (के.सी.ए.एस.) के संयुक्त तत्वाधान में "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पी.एम.जी.के.वाई.) के अंतर्गत बैंक डिपाजिट डिस्क्लोजर स्कीम 2016" पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, ने मुख्य-अतिथि श्री आनंद दीप, आई.आर.एस. मुख्य आयकर आयुक्त इनकम टैक्स (उत्तराखंड एवं यू.पी. (पश्चिम)), कानपुर एवं वक्ता श्री असीम कुमार, आई.आर.एस., मुख्य-आयुक्त, इनकम टैक्स-1, कानपुर, आये हुए समस्त सज्जनों, महिलाओं एवं समस्त मीडिया कर्मियों का स्वागत किया। श्री जैन ने अपने उद्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने का निवेदन किया:

- प्रधानमंत्री ने वचन दिया था कि 2.5 लाख तक का धन बैंक में जमा करा सकेंगे और कोइ पूछ-ताछ नहीं होगी परन्तु इस दौरान बैंको से जिन खाते में 1 लाख तक की राशि जमा की गयी है उसकी जानकारी भी मांगी जा रही है।
- प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि वरिष्ठ व्यक्ति (70 साल से अधिक) होने पर 5 लाख की जमा राशि पर कोइ पूछ-ताछ नहीं होंगी।
- पी.एम.जी.के.वाई. के अंतर्गत धनराशि का 25 प्रतिशत बैंक बांड में जमा किया जाएगा और वह राशि चार साल तक वापस नहीं मिलेगी। इस सम्बन्ध में मेरा माना है कि बांड के अन्दर धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हम चाहते है कि बैंक बांड में जमा राशि को अपने व्यापार में उपयोग होने देने के लिए उधार देने की प्रणाली भी बनायी जाये और दिए हुए धन पर चाहे तो सरकार व्याज भी लगा दे।
- अभी तक उन बैंकों का नाम नोटिफाई नहीं किया गया है जो इस राशि का 25 प्रतिशत धनराशि को जमा करने के लिए बांड जारी करेंगे इस कारण से लोग इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रहे है हम लोग कर विभाग से अधिकारियों से यह अनुरोध करते है कि अपने संबोधन में उपरोक्त प्रश्नों का समाधान करें।

अन्य संस्थाओं की ओर से श्री संतोष गुप्ता, अधिवक्ता, ने यह जानना चाहा कि जिन लोगों ने एडवांस टैक्स, टी.डी.एस. एवं टी.सी.एस. जमा कर दिया है उसको पी.एम.जी.के.वाई. का लाभ मिल सकेगा। अभी इस सम्बन्ध में सी.बी.डी.टी. का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। श्री गुप्ता ने कर विभाग के अधिकारियों से यह भी जानना चाहा कि जिनके एसेसमेंट्स पूरे हो चुके है क्या उन व्यक्तियों व्यक्तियों या कम्पनीज को भी पी.एम.जी.के.वाई. स्कीम का लाभ मिल सकेगा या उनका एसेसमेंट्स पुनः किया जायेगा।

वक्ता श्री असीम कुमार, आई.आर.एस., मुख्य-आयुक्त, इनकम टैक्स-1, कानपुर, ने बताया पी.एम.जी.के.वाई. के प्रावधानों की बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

श्री आनंद दीप, आई.आर.एस. मुख्य आयकर आयुक्त इनकम टैक्स (उत्तराखंड एवं यू.पी. (पश्चिम)), कानपुर ने मर्चेंट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री जैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों तथा सुझाये गए बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये। श्री दीप जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि

- 2 दिन पहले जिन बैंकों को पी.एम.जी.के.वाई. योजना के अंतर्गत नोटिफाई किया गया है उनकी सूची बहुत जल्द ही जारी कर जायेगी।
- प्रधानमन्त्री ने 08 नवम्बर को अपने उद्‌बोधन में कहा था कि 2.5 लाख तक का धन बैंक में जमा करा सकेंगे, कोइ पूछ-ताछ नहीं होगी और इस दौरान बैंको से जिन खाते में 1 लाख तक की राशि जमा की गयी है यदि उनको भी नोटिस जारी किये गए है, तो यह उनके संज्ञान में नहीं है लेकिन वह अपने स्तर से इसकी जांच करवाएंगे यदि दिशा-निर्देश के विपरीत कोई नोटिस जारी किये गए है तो उनको वापस ले लिया जाएगा।
- वह इस बात से सहमत है कि बैंक में बांड घोषित धनराशि का 25 प्रतिशत व्यापारीगण जरुरत पड़ने पर लोन या एडवांस के तौर पर ले सकें, इससे वह सहमत है और इसके लिए वह सी.बी.डी.टी. में अपना पक्ष रखेंगे।
- जिन लोगों ने एडवांस टैक्स या टी.डी.एस. जमा करा दिया है उनको पी.एम.जी.के.वाई. योजना के अंतर्गत कोई लाभ नहीं मिलेगा परन्तु इस विषय पर कर विभाग की ओर से सी.बी.डी.टी. को पुनः लिखा जायेगा।

सत्र के अन्त में डॉ. इंद्र मोहन रोहतगी, पूर्वाध्यक्ष, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने धन्यवाद-प्रस्ताव देते हुए कर विभाग के अधिकारियों (श्री आनंद दीप जी एवं श्री असीम कुमार जी), समस्त सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद दिया।

सत्र का संचालन श्री मुकुल टंडन, सदस्य, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया।

सत्र में उपस्थित गणमान्य: सी.ए. दिलीप गुप्ता, सी.ए. महेंद्र नाथ, सी.ए. शशि बाजपेई, अध्यक्ष, के.आई.टी.बी.ए., के.आई.टी.बी.ए. नवल कपूर, श्री एस.सी. गर्ग, श्री ए.के. सिन्हा, सचिव, एम.सी.यू.पी., मर्चेंट्स चैम्बर, के.आई.टी.बी.ए. तथा के.सी.ए.एस. के सदस्यगण उपस्थित थे।

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश